कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अनिल सरीन, इ-267, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**36 / 12, 15.06.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल सरीन।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अनिल सरीन, इ-267, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए Computer parts, specially, Computer Memory (RAM) और Pen Drive पर करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थी-श्री अनिल सरीन उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 पर Computer system and peripherals को विज्ञापित किया गया है। Computer Memory (RAM) और Pen Drive भी peripherals के अन्तर्गत आते हैं तदनुसार उस पर करदेयता होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी से पूछा गया, कि वह "person or dealer concerned" in U.P. VAT Act नहीं हैं क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। अन्त में प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि Computer system and peripherals उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 पर विज्ञापित है जिस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है। प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत "person or dealer concerned" in U.P. VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है। प्रार्थी "person or dealer concerned" नहीं हैं। अत: उनके द्वारा दिया गया, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. मेरे द्वारा प्रार्थी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। प्रार्थी दिल्ली राज्य के है। वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। अत: person or dealer concerned in U.P. VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 09, अक्टूबर, 2012

ह0/ 09-10-2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।